UPBG010029372026

न्यायालयः सत्र न्यायाधीश, बागपत।

उपस्थितः मनोज कुमार–III, एच.जे.एस.

जे.ओ.कोड–यू.पी.–1909

कम्प्यूटर जमानत प्रार्थनापत्र संख्या–1009/2026

1. दीपक कुमार पुत्र राजसिंह, निवासी वार्ड नम्बर 16, मौहल्ला गायत्रीपुरम, बागपत, थाना व जिला बागपत, मूल निवासी ग्राम डौला, थाना व जिला बागपत।
2. रिंकु पुत्र मोहर सिंह, निवासी ग्राम डौला, थाना सिंघावली अहीर, जनपद बागपत।

.....प्रार्थी/अभियुक्त।

बनाम

1. उ0 प्र0 राज्य

.....अभियोजक।

मु.अ.सं.–269/2026
धारा–103(1)B.N.S.,
थाना–बागपत,
जिला–बागपत।

दिनांकः–11–06–2026

प्रार्थीगण/अभियुक्तगण दीपक कुमार व रिंकु की ओर से यह प्रार्थना–पत्र उपरोक्त प्रकरण के सम्बन्ध में जमानत हेतु प्रस्तुत किया गया है। अभियुक्तगण न्यायिक अभिरक्षा में हैं।

जमानत प्रार्थनापत्र के साथ राजसिंह पुत्र भंवर सिंह व मोहर सिंह पुत्र अतरे का शपथपत्र इस आशय का दिया गया है कि **अभियुक्तगण का यह प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र है**। अन्य कोई जमानत प्रार्थना पत्र किसी न्यायालय में विचाराधीन नहीं है।

प्रार्थीगण/अभियुक्तगण की ओर से जमानत प्रार्थनापत्र इन कथनों के साथ योजित किया गया है कि अभियुक्तगण निर्दोष हैं। उन्हें उक्त मुकदमें में झूठा फंसाया गया है। उन्होने कोई अपराध नहीं किया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट देरी से दर्ज करायी गयी है, जिसमें घटना का कोई मोटिव नहीं बताया गया है। घटना का कोई स्वतंत्र/निष्पक्ष साक्षी नहीं है। अभियुक्तगण का कोई पूर्व आपराधिक इतिहास नहीं है। अभियुक्त दीपक कुमार दिनांक 01.05.2026 को अपनी बुआ के घर लडकी की शादी से वापस अपने पैतृक गॉव गया और कुछ समय रूकने के बाद समय करीब साढे आठ बजे रात्रि में वापस अपने घर कस्बा बागपत आ गया। अगले दिन सुबह करीब आठ बजे 8–10 पुलिस कर्मी उसके घर में अचानक घुस गये और उसके साथ उसके भाई विपिन कुमार को भी पकडकर ले गये। अगले दिन उसके भाई विपिन कुमार को पुलिस ने जाने दिया। अभियुक्तगण दिनांक 03.05.2026 से कारागार में निरूद्ध हैं। जमानत पर रिहा किये जाने की प्रार्थना की गयी है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि वादी गगन ने दिनांक 02.05.2026 को सम्बन्धित थाने पर प्रथम सूचना रिपोर्ट इस आशय की अंकित करायी कि वह गॉव डौला का निवासी है। कल दिनांक 01.05.2026 को सांय के लगभग साढे आठ बजे गॉव के पडौस के ही दो यवुक विकास पुत्र अशोक और दीपक पुत्र राजसिंह उसके चचेरे भाई मूलचन्द उर्फ सोनू पुत्र वीरसिंह को किसी काम के बहाने से घर से बुलाकर ले गये थे। रात के दस बजे तग भी जब मूलचन्द घर नहीं आया तो मूलचन्द की पत्नी मोनी ने मूलचंद के मोबाइल नम्बर पर संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन मूलचंद का फोन बंद मिला। उसके बाद भी काफी समय तक सभी परिजनों ने मूलचन्द के मोबाइल पर संपर्क करने की कोशिश की और आसपास उसकी खोजबीन भी की, लेकिन मूलचन्द से कोई संपर्क नहीं हो पाया और न ही मूलचन्द का कुछ पता चला। आज दिनांक 02.05.2026 को सुबह किसी ने सूचना दी कि गॉव से लगभग दो किलोमीटर दूर मूलचन्द दिल्ली दगडा के पास सिद्धि विनायक होटल के पास एक टयूबबैल पर

Digitally signed by MANOJ KUMAR
Date: 2026.06.11 17:04:36 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

पडा हुआ है। उसने वहॉ जाकर देखा तो मूलचन्द के सिर को ईटों से बुरी तरह से कूचलकर उसकी हत्या कर दी गयी थी और मूलचंद टयूबबैल पर मृत अवस्था में पडा हुआ था। उसने तुरंत 112 नम्बर पर फोन करके पुलिस को सूचित किया। पुलिस आई और मूलचन्द के मृत शरीर को पोस्टमोर्टम के लिए भेज दिया। गॉव के ही वकास पुत्र अशोक और दीपक पुत्र राजसिंह ने उसके पुत्र मूलचन्द की हत्या कर दी थी, जिसमें विकास और दीपक के अन्य साथी भी शामिल हो सकते हैं। मृतक मूलचंद के पिताजी गम्भीर बीमारी के कारण चलने फिरने में भी असमर्थ हैं और मूलचंद की माताजी की काफी समय पहले मृत्यु हो गयी थी, इसलिए मृतक के चचेरे भाई गगन पुत्र बृजपाल द्वारा कार्यवाही हेतु लिखित तहरीर दी जा रही है।

विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी ने जमानत प्रार्थना–पत्र का विरोध करते हुए तर्क दिया है कि प्रार्थी/अभियुक्त दीपक कुमार पुत्र राजसिंह प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामित है तथा प्रार्थी/अभियुक्त रिंकू का नाम दौरान विवेचना प्रकाश में आया है। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण के द्वारा सह–अभियुक्त के साथ मिलकर वादी के चचेरे भाई मूलचंद की ईटों से उसका मुॅह कूचलकर उसकी निर्मम हत्या की गयी है। अपराध गम्भीर प्रकृति का है। जमानत प्रार्थना–पत्र निरस्त किया जाये।

मेरे द्वारा उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण के तर्कों को सुना तथा थाने से प्राप्त आख्या एवं समस्त केसडायरी का परिशीलन किया गया।

घटना दिनांक 01.05.2026 के सम्बन्ध में वादी गगन द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट सम्बन्धित थाने पर दिनांक 02.05.2026 को उपरोक्तानुसार पंजीकृत करायी है, जिसमें प्रार्थी/अभियुक्त दीपक व सह–अभियुक्त विकास पुत्र अशोक नामित हैं तथा प्रार्थी /अभियुक्त रिंकू व एक अन्य सह–अभियुक्त का नाम दौरान विवेचना प्रकाश में आया है।

मृतक मूलचन्द की शव–विच्छेदन आख्या के अनुसार मृतक की मृत्यु, मृत्युपूर्व आई चोटों के कारण उत्पन्न शॉक एण्ड हेमरेज के कारण होना वर्णित है तथा विसरा सुरक्षित कर एफ.एस.एल. को भेजा जाना भी वर्णित है। मृतक की शव–विच्छेदन आख्या में उसके ओक्सीपिटल रीजन में 06 मल्टीपिल फटे हुए घाव, दांयी व बांयी भौंह पर फटे हुए घाव तथा एक एब्रेजन पाये जाने का भी उल्लेख किया गया है।

विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता, फौजदारी व वादी के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि प्रार्थी/अभियुक्त दीपक कुमार पुत्र राजसिंह, सह–अभियुक्त विकास पुत्र अशोक के साथ प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामित है तथा प्रार्थी/अभियुक्त रिंकू का नाम दौरान विवेचना प्रकाश में आया है। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण ने सह–अभियुक्त के साथ मिलकर सामान्य आशय के अग्रसरण में उक्त अपराध कारित किया गया है, जिसमें मूलचन्द की ईटों से प्रहार करके निर्मम हत्या कारित की गयी है। वादी मुकदमा गगन ने अपने बयान में अभियोजन कथानक का समर्थन किया है तथा यह भी कथन किया है कि उसे जानकारी हुई कि उसके गॉव के ही विकास पुत्र अशोक, दीपक पुत्र राजसिंह एवं रिंकू पुत्र मोहर सिंह ने उसके चचेरे भाई मूलचन्द उर्फ सोनू की हत्या कर दी है। दौरान विवेचना प्रार्थी/अभियुक्त दीपक को पुलिस द्वारा गिरफतार किया गया तथा उसने अपने बयान में कथन किया है कि उसके दोस्त विकास का मृतक मूलचन्द उर्फ सोनू की पत्नी से प्रेम प्रसंग था तथा उसकी व रिंकू की भी उससे चोरी छुपे मुलाकात हो जाती थी, वह लोग उसके प्यार में अंधे हो गये थे। मूलचन्द उर्फ सोनू उन लोगों के बीच में रोढा बन रहा था, इसलिए उसने, विकास व रिंकू ने मूलचन्द उर्फ सोनू को पार्टी करने के बहाने से टयूबबैल पर बुलाया तथा एकसाथ बैठकर बीयर पी। उसी दौरान टयूबबैल पर पडी ईटों से उन तीनों ने चोट मारकर उसकी हत्या कर दी थी तथा ईट वहीं फेंक कर वह तीनों वहॉ से भाग गये थे। प्रार्थी/अभियुक्त दीपक, रिंकू व सह–अभियुक्त विकास की गिरफतारी के उपरान्त उनकी निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त ईट भी पुलिस द्वारा बरामद की गयी है।

उपरोक्त के अनुसार प्रार्थी/अभियुक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामित है। प्रार्थी/अभियुक्त दीपक कुमार पुत्र राजसिंह, सह–अभियुक्त विकास पुत्र अशोक के साथ प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामित है तथा प्रार्थी/अभियुक्त रिंकू का नाम दौरान विवेचना प्रकाश में आया है। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण के विरूद्ध वादी के भाई मूलचन्द उर्फ सोनू को घर से बुलाकर ले जाने तथा सह–अभियुक्त के साथ मिलकर ईटों से प्रहार करके उसकी हत्या करने का अभियोग है। वादी मुकदमा गगन ने अपने बयान में अभियोजन कथानक का समर्थन किया है तथा यह भी कथन

किया है कि उसे जानकारी हुई कि उसके गॉव के ही विकास पुत्र अशोक, दीपक पुत्र राजसिंह एवं रिंकू पुत्र मोहर सिंह ने उसके चचेरे भाई मूलचन्द उर्फ सोनू की हत्या कर दी है। दौरान विवेचना प्रार्थी/अभियुक्त दीपक को पुलिस द्वारा गिरफतार किया गया तथा उसने अपने बयान में कथन किया है कि उसके दोस्त विकास का मृतक मूलचन्द उर्फ सोनू की पत्नी से प्रेम प्रसंग था तथा उसकी व रिंकू की भी उससे चोरी छुपे मुलाकात हो जाती थी, वह लोग उसके प्यार में अंधे हो गये थे। मूलचन्द उर्फ सोनू उन लोगों के बीच में रोढा बन रहा था, इसलिए उसने, विकास व रिंकू ने मूलचन्द उर्फ सोनू को पार्टी करने के बहाने से टयूबबैल पर बुलाया तथा एकसाथ बैठकर बीयर पी। उसी दौरान टयूबबैल पर पडी ईटों से उन तीनों ने चोट मारकर उसकी हत्या कर दी थी तथा ईट वहीं फेंक कर वह तीनों वहॉ से भाग गये थे। प्रार्थी/अभियुक्त दीपक, रिंकू व सह–अभियुक्त विकास की गिरफतारी के उपरान्त उनकी निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त ईट भी पुलिस द्वारा बरामद की गयी है। मृतक मूलचन्द की शव–विच्छेदन आख्या के अनुसार मृतक की मृत्यु, मृत्युपूर्व आई चोटों के कारण उत्पन्न शॉक एण्ड हेमरेज के कारण होना वर्णित है तथा विसरा सुरक्षित कर एफ.एस.एल. को भेजा जाना भी वर्णित है। मृतक की शव–विच्छेदन आख्या में उसके ओक्सीपिटल रीजन में 06 मल्टीपिल फटे हुए घाव, दांयी व बांयी भौंह पर फटे हुए घाव तथा एक एब्रेजन पाये जाने का भी उल्लेख किया गया है। अपराध गम्भीर प्रकृति का है। प्रकरण में विवेचना प्रचलित है।

अतः मामले के समस्त तथ्यों, परिस्थितियों, अपराध की गम्भीरता को दृष्टिगत रखते हुए, बिना गुणदोष पर कोई टिप्पणी किये, न्यायालय का मत है कि प्रार्थीगण/अभियुक्तगण को जमानत प्रदान किये जाने का पर्याप्त आधार नहीं है। जमानत प्रार्थना–पत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

प्रार्थीगण/अभियुक्तगण <u>दीपक कुमार व रिंकू</u> की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना–पत्र निरस्त किया जाता है।

दिनांकः–11.06.2026

(मनोज कुमार–III),
सत्र न्यायाधीश,
बागपत।
J.O.Code–U.P.1909